



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129209

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 14812/2026

आशीष कुमारआवेदक (गण)

बनाम

इंटेलिजेंस ऑफिसर के माध्यम भारत संघप्रत्यर्थी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आर्यन श्रीवास्तव, समीर श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : धनंजय अवस्थी

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आर्यन श्रीवास्तव द्वारा सहायता प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.सी. श्रीवास्तव और भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन डीआरआई गोरखपुर वाद संख्या 01/2026, अंतर्गत धारा 135(1) (ए) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, थाना राजस्व खुफिया निदेशालय, गोरखपुर उप-क्षेत्रीय इकाई यूपी, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06.01.2026 के संबंध में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक के कब्जे से कथित रूप से कुल 799 ग्राम सोने की बरामदगी की गई है; विभागीय प्राधिकारी द्वारा उक्त सोने का मूल्यांकन किया गया है और उस आधार पर कथित बरामदगी का मूल्य लगभग 1,12,25,950/- रुपये आंका गया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135(1) (ए) के तहत अधिकतम दंड 7 वर्ष तक का कारावास है, यदि सोने का मूल्य 1,00,00,000/- रुपये से अधिक हो। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक के कब्जे से कथित रूप से बरामद सोने को विभाग द्वारा पहले ही जब्त कर लिया गया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि विभाग द्वारा सोने का मूल्यांकन गलत तरीके से आंका गया है; वास्तव में आवेदक के कब्जे से कथित रूप से बरामद सोने का मूल्य 1,00,00,000/- रुपये से कम है। इसलिए, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135(1)(ई)(आई) को देखते हुए आवेदक के विरुद्ध कथित अपराध एक जमानती अपराध है। प्रत्युत्तर शपथ पत्र में आवेदक के आपराधिक इतिहास को भली-भांति स्पष्ट किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक 07.01.2026 से जेल में बंद है और यदि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का पात्र नहीं है।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, आपराधिक इतिहास के स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत पाने के लिए मामला बना लिया है।
6. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त आवेदक- आशीष कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के दौरान वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय आईपीसी की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) वाद को शुरू करने, (2) आरोप विरचित करने और (3) सीआरपीसी की धारा 313 / बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

25 जून, 2026

नितेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"